

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन भवन  
58 अरेरा हिल्स भोपाल (म0प्र0)-462011

क्रमांक एफ 53-05/09/तीन/1442

भोपाल, दिनांक 5/12/2009


प्रति,

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(स्थानीय निर्वाचन)  
जिला-समस्त (म0प्र0)

विषय:-नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 के लिये मतदान दलों को मतदान केन्द्रों के संबंध में जानकारी देना तथा रेण्डमाईजेशन।

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 के लिये मतदान दलों को मतदान केन्द्रों के संबंध में जानकारी देने तथा रेण्डमाईजेशन के संबंध में लेख है कि लोकसभा एवं विधान सभा निर्वाचन में मतदान दलों को अंतिम समय तक उन्हें आवंटित मतदान केन्द्रों की जानकारी नहीं दी जाती है तथा रेण्डमाईजेशन के उपरांत सामग्री वितरण के समय ही मतदान केन्द्रों की जानकारी का खुलासा किया जाता है।

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए मतदान दिवस के दो दिन पूर्व मतदान दलों को केन्द्र आवंटित किये जाए तथा सामग्री वितरण के दौरान ही दलों को आवंटित मतदान केन्द्रों की जानकारी दी जाए। कृपया उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।


  
(अनुपम शर्मा)  
सचिव

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल  
दूरभाष क्रमांक 0755-2555527

पृ0क्रमांक एफ-53-05/09/तीन/1443  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5/12/2009

समस्त सम्भागीय आयुक्त, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

  
सचिव

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल